

प्रेस नोट

दिनांक 21.08.2020 को एक महिला निवासी विशाल नगर थाना रोहनियाँ वाराणसी जब तीज व्रत की पूजा करने के लिए मन्दिर जा रही थीं तभी अपाचे सवार दो व्यक्तियों द्वारा इनका मंगलसूत्र छीन लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पर मु0अ0सं0 322/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत हुआ था। दिनांक 24.08.2020 को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तगण (1) धर्मराज कुमार पुत्र छांगुर प्रसाद निवासी शिवदासपुर लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी व (2) अजय मौर्या पुत्र राम जतन मौर्या निवासी कादीपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटा हुआ मंगलसूत्र मय पेण्डुलम के बरामद किया गया था। दोनों अभियुक्तगण द्वारा थाना मण्डुवाडीह में भी लूट की घटना कारित की गयी थी।

उपरोक्त अभियोगों के आधार पर जिलाधिकारी वाराणसी के अनुमोदन उपरान्त गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 403/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी के कुशल दिशा निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पिण्डरा के नेतृत्व में आज दिनांक 04.10.2020 को थाना फूलपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 0031/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त कमलेश कुमार पाण्डेय पुत्र रामलोचन पाण्डेय निवासी सभईपुर थाना शिवपुर वाराणसी हालपता मा0 कांशीराम आवास योजना ब्लॉक नं0 52 रुम नं0 01 नई बिल्डिंग थाना शिवपुर वाराणसी को उसके घर के बाहर से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- कमलेश कुमार पाण्डेय पुत्र रामलोचन पाण्डेय निवासी सभईपुर थाना शिवपुर वाराणसी हालपता मा0 कांशीराम आवास योजना ब्लॉक नं0 52 रुम नं0 01 नई बिल्डिंग थाना शिवपुर वाराणसी उम्र 42 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 धीरेन्द्र सिंह, का0 अमित कुमार, का0 तेजप्रताप यादव व म0का0 प्रतिमा तिवारी थाना फूलपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक नगर वाराणसी व क्षेत्राधिकारी कोतवाली वाराणसी के कुशल निर्देशन में दिनांक 04.10.2020 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर लाला सेन्ट गली में शांतेश्वर मंदिर के पास से फैज आलम पुत्र एकलाक अहमद पता दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र करीब 23 वर्ष को समय करीब 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 120/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- फैज आलम पुत्र एकलाक अहमद पता दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस .12 बोर ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0030/2015 धारा 379 भादवि थाना आदमपुर वाराणसी ।
2. मु0अ0सं0 0282/2018 धारा 411 भा0द0वि0 व 20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली वाराणसी ।
3. मु0अ0सं0 0283/2018 धारा 411 भा0द0वि0 व 20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली वाराणसी ।
4. मु0अ0सं0 0026/2015 धारा 441,411,414 भादवि थाना दशाश्वमेध वाराणसी ।
5. मु0अ0सं0 0461/2017 धारा 363,366 भादवि थाना चौबेपुर वाराणसी ।
6. मु0अ0सं0 0129/2018 धारा 380 भादवि थाना लक्सा वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अमित कुमार शुक्ल प्रभारी चौकी गायघाट व का0 राममूरत थाना कोतवाली वाराणसी।

जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 04/10/2020 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 156/2020 धारा 376/323/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल सिंह उर्फ दीपक सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह निवासी डी 17/37 भूतेश्वर गली थाना दशाश्वमेध वाराणसी उम्र लगभग 25 वर्ष को लकड़ीमण्डी तिराहा चौकाघाट के पास से समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- राहुल सिंह उर्फ दीपक सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह निवासी डी 17/37 भूतेश्वर गली थाना दशाश्वमेध वाराणसी उम्र लगभग 25 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 मिथिलेश यादव चौकी प्रभारी पानदरीबा, उ0नि0 विनोद विश्वकर्मा, का0 अवधेश यादव व का0 अवनीश राय थाना चेतगंज वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 04.10.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 319/19 धारा 409/419/420/465/467/468/471/120(बी) भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रिपुन्जय सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम तोरवां थाना धानापुर चन्दौली उम्र लगभग 37 वर्ष को लमही संजय सिंह के मकान के पास से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- रिपुन्जय सिंह पुत्र स्व0 जितेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम तोरवां थाना धानापुर चन्दौली उम्र लगभग 37 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अमित कुमार यादव चौकी प्रभारी सोनिया, उ0नि0 अनुज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी काशी विद्यापीठ, का0 सूरज भारती, का0 जितेन्द्र सिंह व का0 अजीत कुमार थाना सिगरा जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 04-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 26 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *136 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2196 वाहनों का चालान, 30 वाहनों को सीज तथा 95 वाहनों से रु0-77,700/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 04-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1591 व्यक्तियों से रु0-78,000/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।